आवश्यक
पंचायत आम चुनाव, 2021

राज्य निर्वाचन आयोग,
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

सत्यमेव जयते

पत्र संख्या- पं0नि0 30-110/2021 - 2114

प्रेषक,

बैजू नाथ कुमार सिंह,
उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)

पटना, दिनांक - 14.5.21

विषय : नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार द्वारा अधिसूचित नवगठित/ उत्क्रमित/ क्षेत्र विस्तार हुये नगर निकायों के फलस्वरूप पंचायतों की स्थिति संबंधी प्रतिवेदन का प्रेषण।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार द्वारा नगर निकायों को नवगठित/ उत्क्रमित/ क्षेत्र विस्तार करते हुए अधिसूचित किये गये हैं। जिससे पंचायतों की स्थिति में निम्न परिवर्त्तन हुये होंगे, जो निम्नवत् हैं –

1. ग्राम पंचायत जो पूर्ण रूप से नगर निकाय में सम्मिलित हुए हैं;
2. ग्राम पंचायत जो आंशिक रूप से नगर निकाय में सम्मिलित हुए हैं, किन्तु पंचायत शेष क्षेत्र के साथ अस्तित्व में हैं;
3. ग्राम पंचायत जो आंशिक रूप से नगर निकाय में सम्मिलित हुए हैं तथा उस पंचायत के शेष भाग किसी अन्य पंचायत में सम्मिलित किये जाने के फलस्वरूप उसका अस्तित्व समाप्त हो गये हैं।

यहाँ स्पष्ट करना आवश्यक है कि सभी नवगठित/ उत्क्रमित/ क्षेत्र विस्तार नगर निकाय के फलस्वरूप ग्राम पंचायत विशेष में उपर्युक्त तीनों स्थिति में से कोई एक स्थिति उत्पन्न होगी किन्तु प्रखंड/ जिला में तीनों स्थिति उत्पन्न हो सकती है। प्रत्येक नवगठित/ उत्क्रमित/ क्षेत्र विस्तार नगर निकायवार पंचायतों की स्थिति के संबंध में प्रपत्र संलग्न किये गये हैं। जिनमें सभी सूचनाओं का अंकित किया जाना आवश्यक है।

विदित है कि वर्तमान में सभी ग्राम पंचायत क्षेत्रों के प्रा.नि.क्षेत्रवार मतदाता सूची तैयार किये गये हैं तथा तदनुसार मतदान केन्द्र एवं सहायक मतदान केन्द्र स्थापित किये गये हैं। नगर निकाय अधिसूचित होने के फलस्वरूप नगर निकाय अधिसूचित क्षेत्र को छोड़कर शेष ग्राम पंचायत क्षेत्रों में पंचायत आम निर्वाचन सम्पन्न कराये जायेंगे। उक्त स्थिति में अधिसूचित नगर निकाय क्षेत्र में पड़ने वाले क्षेत्र से संबंधित मतदाता सूची एवं मतदान केन्द्रों को हटाने/ विलोपन संबंधी कार्रवाई किया जाना है।

प्रत्येक स्थिति में प्रपत्र पर नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार के जिन आदेश से नगर निकाय के

नवगठित/उत्क्रमित/क्षेत्र विस्तार किये गये हैं, उनमें अधिसूचना संख्या एवं दिनांक अंकित करते हुए सूचना निम्नवत अंकित किये जायेंगे :-

अनुसूची - 1 : ग्राम पंचायत जो पूर्ण रूप से नगर निकाय में सम्मिलित हुए हैं;

1. कॉलम 1 में क्रमांक तथा क्रमांक 2 में संबंधित पंचायत का नाम अंकित की जायेगी;
2. पंचायत के अन्तर्गत पड़ने वाले जितने वार्ड हैं, कॉलम 3 में, उससे संबंधित मतदान केन्द्र की संख्या कॉलम 4 में, तथा उस पंचायत से संबंधित जितने सहायक मतदान केन्द्र अंकित की जायेगी।
3. जो भी पंचायत समिति के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र प्रभावित/विलोपित हो रहें हैं उसके प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या कॉलम 6 में एवं
4. उससे संबंधित जिला परिषद प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या कॉलम 7 में तथा उस जिला परिषद अन्तर्गत जो पंचायत नगर निकाय में सम्मिलित होने के पश्चात शेष ग्राम पंचायत का नाम कॉलम 8 में अंकित किये जायेंगे।

अनुसूची - 2. ग्राम पंचायत जो आंशिक रूप से नगर निकाय में सम्मिलित हुए हैं, किन्तु पंचायत शेष क्षेत्र के साथ अस्तित्व में हैं;

1. कॉलम 1 में क्रमांक तथा क्रमांक 2 में संबंधित पंचायत का नाम अंकित की जायेगी;
2. आंशिक पंचायत जो नगर निकाय में सम्मिलित हुये हैं, से संबंधित वार्ड हैं, कॉलम 3 में, उससे संबंधित मतदान केन्द्र की संख्या कॉलम 4 में, तथा उस पंचायत से संबंधित सहायक मतदान केन्द्र संख्या कॉलम 5 में अंकित की जायेगी।
3. आंशिक पंचायत जो नगर निकाय में सम्मिलित नहीं हुये हैं, से संबंधित वार्ड हैं, कॉलम 6 में, उससे संबंधित मतदान केन्द्र की संख्या कॉलम 7 में, तथा उस पंचायत से संबंधित सहायक मतदान केन्द्र संख्या कॉलम 8 में अंकित की जायेगी।
4. जो भी पंचायत समिति के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र प्रभावित/विलोपित हो रहें हैं उसके प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या कॉलम 6 में एवं
5. उससे संबंधित जिला परिषद प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या कॉलम 7 में तथा उस जिला परिषद अन्तर्गत जो पंचायत नगर निकाय में सम्मिलित होने के पश्चात शेष ग्राम पंचायत का नाम कॉलम 8 में अंकित किये जायेंगे।

अनुसूची - 3. ग्राम पंचायत जो आंशिक रूप से नगर निकाय में सम्मिलित हुए हैं तथा उस पंचायत के शेष भाग किसी अन्य पंचायत में सम्मिलित किये जाने के फलस्वरूप उसका अस्तित्व समाप्त हो गये हैं।

1. कॉलम 1 में क्रमांक तथा क्रमांक 2 में संबंधित पंचायत का नाम अंकित की जायेगी;
2. आंशिक पंचायत जो नगर निकाय में सम्मिलित हुये हैं, से संबंधित वार्ड हैं, कॉलम 3 में, उससे संबंधित मतदान केन्द्र की संख्या कॉलम 4 में, तथा उस पंचायत से संबंधित सहायक मतदान केन्द्र संख्या कॉलम 5 में अंकित की जायेगी।
3. आंशिक पंचायत जो नगर निकाय में सम्मिलित नहीं हुये हैं, से संबंधित वार्ड हैं, कॉलम 6 में, उससे संबंधित मतदान केन्द्र की संख्या कॉलम 7 में, तथा उस पंचायत से संबंधित सहायक मतदान केन्द्र संख्या कॉलम 8 में अंकित की जायेगी।
4. आंशिक पंचायत जो अन्य पंचायत में सम्मिलित हुये हैं, का नाम कॉलम 9 में, उससे संबंधित वार्डसंख्या कॉलम 10 में, मूल मतदान केन्द्र कॉलम 11 में, सहायक मतदान केन्द्र कॉलम 12 में तथा कॉलम 13 में

जिस पंचायत में सम्मिलित हुये हैं उसका वार्ड तथा आंशिक पंचायत वाले वार्ड सहित कुल वार्ड अंकित किये जायेंगे।

4. जो भी पंचायत समिति के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र प्रभावित/विलोपित हो रहें हैं उसके प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या कॉलम 14 में एवं पंचायत समिति के अन्तर्गत पड़ने वाले सभी नार्डों को अंकित किये जायेंगे।
5. उससे संबंधित जिला परिषद प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या कॉलम 16 में तथा उस जिला परिषद अन्तर्गत जो पंचायत नगर निकाय में सम्मिलित होने के पश्चात शेष ग्राम पंचायत का नाम कॉलम 17 में अंकित किये जायेंगे।

उक्त सभी प्रविष्टि आयोग के वेबसाईट पर जिला के लॉगिन के माध्यम से किया जायेगा तथा प्रविष्टि के पश्चात प्रतिवेदन निकालकर जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी के हस्ताक्षर उपरान्त अग्रसारण पत्र के साथ वेवसाईट पर अपलड कर दिया जायगा।

उल्लेखनीय है कि बिहार पंचायत निर्वाचन, 2021 की अधिसूचना अलिम्ब संभावित है, जिसके कारण निर्वाचक सूची को अविलम्ब अंतिम रूप दिया जाना अनिवार्य है। उक्त कार्य को निश्चित रूप से दिनांक 20.04.2021 तक अचूक रूप से पूर्ण कर लिया जाय ताकि ससमय चुनाव सफलतापूर्वक कराने में कोई समस्या उत्पन्न न हो।

उक्त प्रतिवेदन वेबसाइट पर अपलोड करने के अतिरिक्त ई-मेल से भी दिनांक 20.04.2021 तक निश्चित रुप से भेजने की कृपा की जाए।

अनुरोध है कि तत्संबंधी कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

विश्वासभाजन,
ह0 14.4.2021
उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी।

ज्ञापांक - पं0नि0 30-110/2021 – 2114 पटना, दिनांक - 14.4.21

प्रतिलिपि श्री राजेश कुमार, आई.टी. मैनेजर को आयोग के वेबसाईट पर अपलोड कराये जाने हेतु प्रेषित।

ह0 14.4.2021
उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी।

ज्ञापांक - पं0नि0 30-110/2021 – 2114 पटना, दिनांक - 14.4.21

प्रतिलिपि सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 14.4.2021
उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी।

ज्ञापांक - पं0नि0 30-110/2021 – 2114 पटना, दिनांक - 14.4.21

प्रतिलिपि अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 14.4.2021
उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी।

नवगठित/उत्क्रमित/क्षेत्र विस्तार हुये नगर निकायों के फलस्वरूप पंचायतों की स्थिति

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार का अधिसूचना संख्या............ दिनांक ....

जिला का नाम – प्रखंड का नाम – नगर निकाय का नाम –

ग्राम पंचायत जो पूर्ण रूप से नगर निकाय में सम्मिलित हुए हैं के संबंध में विवरणी :-

क्रमांक	पंचायत का नाम	पंचायत के अन्तर्गत पड़ने वाले क्षेत्रों की विवरणी			प्रभावित हुये पंचायत समिति के प्रा.नि.क्षे. संख्या	जिला परिषद प्रा.नि.क्षेत्र पर प्रभाव		अभियुक्ति
		वार्ड संख्या ...... से .....तक	मूल मतदान केन्द्र संख्या ...... से ..... तक	सहायक मतदान केन्द्र संख्या		जिला परिषद प्रा.नि.क्षे.संख्या	शेष पंचायत का नाम	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

जिला पदाधिकारी–सह-

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) का हस्ताक्षर

जिला - ....

अनुसूची- 2

नवगठित/उत्क्रमित/क्षेत्र विस्तार हुये नगर निकायों के फलस्वरूप पंचायतों की स्थिति

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार का अधिसूचना संख्या............ दिनांक ....

जिला का नाम – प्रखंड का नाम – नगर निकाय का नाम –

ग्राम पंचायत जो आंशिक रूप से नगर निकाय में सम्मिलित हुए हैं, किन्तु पंचायत शेष क्षेत्र के साथ अस्तित्व में हैं, से संबंधित विवरणी :-

क्रमांक	पंचायत का नाम	पंचायत के अन्तर्गत पड़ने वाले क्षेत्र जो नगर निकाय में सम्मिलित हुए हैं			आंशिक पंचायत के अन्तर्गत पड़ने वाले शेष क्षेत्र जो नगर निकाय में सम्मिलित नहीं हुए हैं		
		वार्ड संख्या	मूल मतदान केन्द्र संख्या	सहायक मतदान केन्द्र संख्या	वार्ड संख्या	मूल मतदान केन्द्र संख्या	सहायक मतदान केन्द्र संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8

पंचायत समिति प्रा.नि.क्षेत्र पर प्रभाव एवं वर्तमान स्थिति		जिला परिषद प्रा.नि.क्षेत्र पर प्रभाव एवं वर्तमान स्थिति		अभियुक्ति
पंचायत समिति प्रा.नि.क्षे. संख्या	पंचायत समिति अन्तर्गत शेष ग्राम पंचायत प्रा.नि.क्षे. (वार्ड)	जिला परिषद प्रा.नि.क्षे.संख्या	शेष पंचायत का नाम	
9	10	11	12	13

जिला पदाधिकारी-सह-

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) का हस्ताक्षर

जिला - ....

नवगठित/उत्क्रमित/क्षेत्र विस्तार हुये नगर निकायों के फलस्वरूप पंचायतों की स्थिति

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार का अधिसूचना संख्या............ दिनांक ....

जिला का नाम – प्रखंड का नाम – नगर निकाय का नाम –

ग्राम पंचायत जो आंशिक रूप से नगर निकाय में सम्मिलित हुए हैं तथा उस पंचायत के शेष भाग किसी अन्य पंचायत में सम्मिलित किये जाने के फलस्वरूप उसका अस्तित्व समाप्त हो गये हैं, से संबंधित विवरणी :-

क्रमांक	पंचायत का नाम	पंचायत के अन्तर्गत पड़ने वाले क्षेत्र जो नगर निकाय में सम्मिलित हुए हैं			आंशिक पंचायत के अन्तर्गत पड़ने वाले शेष क्षेत्र जो नगर निकाय में सम्मिलित नहीं हुए हैं		
		वार्ड संख्या	मूल मतदान केन्द्र संख्या	सहायक मतदान केन्द्र संख्या	वार्ड संख्या	मूल मतदान केन्द्र संख्या	सहायक मतदान केन्द्र संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8

आंशिक पंचायत जो अन्य पंचायत में सम्मिलित हुआ, उस पंचायत की विवरणी					पंचायत समिति प्रा.नि.क्षेत्र पर प्रभाव एवं वर्तमान स्थिति	
पंचायत का नाम जिनमें सम्मिलित हुए	वार्ड संख्या ...... से .....तक	मूल मतदान केन्द्र संख्या ...... से ..... तक	सहायक मतदान केन्द्र संख्या	आंशिक पंचायत सम्मिलित होने के कारण कुल वार्डों की संख्या	पंचायत समिति प्रा.नि.क्षे. संख्या	आंशिक पंचायत सम्मिलित होने के फलस्वरूप पंचायत समिति अन्तर्गत कुल ग्राम पंचायत प्रा.नि.क्षे. (वार्ड)
9	10	11	12	13	14	15

जिला परिषद प्रा.नि.क्षेत्र पर प्रभाव एवं वर्तमान स्थिति		अभियुक्ति
जिला परिषद प्रा.नि.क्षे.संख्या	कुल पंचायतों का नाम	
16	17	18

जिला पदाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) का हस्ताक्षर
जिला - ....